नवभारत टाइम्स

दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूलों में भेदभाव!

एनसीपीसीआर ने स्कूलों से मांगा 5 सालों का हिसाब

Poonam.Pandey@timesgroup.com

नई दिल्ली: देश की चाइल्ड राइट्स की टॉप बॉडी नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कमिशन को कई टॉप प्राइवेट स्कूलों की शिकायत मिली है कि वहां ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के स्टूडेंट्स से भेदभाव किया जाता है। कमिशन ने अब सभी स्कूलों से पांच साल का हिसाब मांगा है।

दिल्ली से सबसे ज्यादा शिकायतें : कमिशन मेंबर प्रियंक कानूनगो ने एनबीटी को बताया कि हमने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों से डेटा देने के लिए कहा कि पांच साल में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में कितने एडमिशन किए गए। उन्होंने बताया कि देश में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा दिल्ली के स्कूलों की आ रही हैं। कानूनगो ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आरटीई के इस प्रोविजन का अच्छे से पालन हो रहा है लेकिन वहां स्कूल वालों को सरकार की तरफ से रिंबर्समेंट मिलने में दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों ने अभी ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में एडमिशन देना शुरू नहीं किया है। यूपी में अभी काफी सुधार की जरूरत है।

फर्जी एडमिशन और भेदभाव : सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में फर्जी एडमिशन की शिकायतें आई हैं। साथ ही यह शिकायत भी कि ईडब्ल्यूए कैटिगरी के बच्चों से भेदभाव किया जाता है। कुछ टॉप के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के बच्चों को अलग बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है और उन्हें अलग टीचर पढ़ाते हैं, जबकि आरटीई में ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए 25 पर्सेंट सीट रिजर्व करने का मकसद यह था कि गरीब बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकें। दिल्ली सरकार स्कूलों को प्रति ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट सालाना 14 हजार रुपये देती है। इसके बावजूद गरीब बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भेदभाव हो रहा है। इसे लेकर एनसीपीसीआर काफी गंभीर है।

सैंपल चेकिंग की तैयारी : सूत्रों के मुताबिक एनसीपीसीआर ने प्राइवेट स्कूलों से पांच साल का जो डेटा मांगा है। वह डेटा क्वॉलिटी काउंसिल को दिया जाएगा जिसके बाद इसकी सैंपल की चेकिंग होगी। दिल्ली में करीब 1700 प्राइवेट स्कूल हैं। ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में इन स्कूलों ने जिन बच्चों को एडमिशन दिया, उन्हें ट्रेस किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने एडमिशन फर्जी हैं। साथ ही बच्चों से बात कर इसका पता लगाया जाएगा कि स्कूल उनके साथ कैसा बर्ताव करता है।

मिली हैं शिकायतें

- ईडब्ल्यूएस कैटिगरी में फर्जी एडमिशन किए जा रहे हैं
- ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के बच्चों से भेदभाव किया जाता है
- इस कैटिगरी के बच्चों को अलग बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है
- एनसीपीसीआर ने प्राइवेट स्कूलों से पांच साल का जो डेटा मांगा है